



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274801
CG-DL-E-25072026-274801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3927]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3927]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4097(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4445(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित "अपर उपजिलाधिकारी" के स्थान पर "अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुजफ्फरनगर" पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. NHA/BOT/11013/5/2019]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4097(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4445(E), dated 11/12/2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

Additional Sub-Divisional Magistrate, mentioned in column no.2 of Schedule, shall be read as Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Muzaffarnagar.

[F. No. NHAI/BOT/11013/5/2019]

SHAIKH AMINKHAN, Director